न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 45/2024
GCMS NO. : 2024/00080

–: प्रार्थीगण :–	बनाम	–: अप्रार्थीगण :–
01.रुकमादेवी पत्नी रमेशचन्द जाति–जाट निवासी सेवरिया तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान		1. तहसीलदार जैतारण, तहसील कार्यालय– जैतारण, जिला–ब्यावर (राज.)।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजूः. 23/02/2024

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थीया।
2. सरकारी पैरोकार, तहसीलदार जैतारण, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनाँकः– 27/06/2024**

वकील मय प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थी/तहसीलदार इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास मे प्रार्थिया की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी पर एक मात्र मालिकाना हक प्रार्थिया का है तथा प्रार्थिया ही उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। नकल जमाबंदी प्रार्थनापत्र के साथ पेशा है जिसे प्रार्थनापत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। प्रार्थिया की उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 68/7 जो कि प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि है प्रार्थिया की उपरोक्त आराजी के पास ही अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 13.5731 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी की आराजी है। प्रार्थिया एव अप्रार्थी की आराजी का कानूनन बंटवाडा एवं तरमीम हो रखा है राजस्व रेकर्ड मे यह जमीनें अलग अलग है, परन्तु अप्रार्थी ने बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थिया की आराजी मे अपना हक जताना शुरू कर दिया और बिना प्रार्थिया को बताये ही अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारीयों ने प्रार्थिया की आराजी की सीमा को लेकर विवाद शुरू कर दिया एव प्रार्थिया की आराजी जो कि राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर अलग बंटी हुई है फिर भी अप्रार्थी जानबुझकर प्रार्थिया को तंग व परेशान करने की नियत से सीमा को लेकर विवाद करना शुरू कर दिया एव प्रार्थिया को आये दिन यह धमकीयां दी जा रही है कि उसके पास रिकॉर्ड मे इन्द्राज हिस्से से ज्यादा जमीन पर कब्जा है जबकि प्रार्थिया ने अप्रार्थी को निवेदन किया कि वह चाहे तो अपने अधिनस्थ हल्का पटवारी से आराजी की नापचौप करवा सकते है परन्तु अप्रार्थी ऐसा नहीं कर रहे है और बेवजह आये दिन सीमा को लेकर विवाद कर रहे है। प्रार्थिया अपनी आराजी पर कानूनी रूप से काबिज है और मौके पर प्रार्थिया के पास रिकॉर्ड से ज्यादा जमीन नहीं है लेकिन फिर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:23:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
जैतारण

ी अप्रार्थी को अन्देशा है कि प्रार्थिया उसकी जमीन पर काबिज है जबकि प्रार्थिया जस्व रेकर्ड के अनुसार अपने हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर काश्त कर रहे ; लेकिन फिर भी अप्रार्थी बिना किसी हक अधिकार के प्रार्थिया के मालिकाना हक की आराजी मे विवाद खडा कर रहे हैं जबकि प्रार्थिया की जमीन का कानूनन बाई मेटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा हो रखा है रेकर्ड में अलग से तरमीम है और मौके पर भी प्रार्थिया की आराजी पर अपने हक हिस्से अनुसार चारों तरफ मांठे कायम है खन्दक लगी हुई है जिसको अप्रार्थी आये दिन दखलन्दाजी करते हुए माठ तोडकर विवाद खडा कर रहे हैं जबकि अप्रार्थी को प्रार्थिया की आराजी की माठ तोड़ने खन्दक बिखेरने का कोई हक अधिकार नहीं है फिर भी जबरदस्ती सीमा विवाद कर रहे है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से कई बार निवेदन किया कि वह चाहे तो उपरोक्त वर्णित आराजी का नापचौप कर सीमाज्ञान करवा सकते है लेकिन अप्रार्थी न तो नापचौप कर रहे हैं और जानबुझकर सीमा विवाद कर रहे हैं। इसलिए प्रार्थिया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। दिनाक 04/02/2024 को अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारी मौके पर आये और प्रार्थिया के साथ सीमा को लेकर विवाद करने लगे तब प्रार्थिया ने निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की आराजी का नापचौप कर लिया जावे परन्तु अप्रार्थी व उसके अधिनस्थ कर्मचारी नहीं माने और सीमा विवाद करने लगे यदि अप्रार्थी अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जबरदस्ती प्रार्थिया की खन्दक बिखेरते हैं या उनके खेत की मांठो को तोडफोड़ कर खूर्द बुर्द कर देते है या उनकी कृषि भूमि मे काश्त नहीं करने देते है तो प्रार्थिया अपने साम्पतिक हक अधिकारो से महरूम हो जायेगी अप्रार्थी को प्रार्थिया की तरमीम सुदा भूमि में किसी तरह की दखलन्दाजी करने का हक अधिकार नहीं है परन्तु फिर भी अप्रार्थी जानबुझकर प्रार्थिया को तंग व परेशान करने एव हैरान परेशान करने की मंशा से सीमा विवाद कर रहे है प्रार्थिया जो कि न्यायप्रिय महिला है इसलिए उसके पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् सीमाज्ञान करवाने का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण को जरिए सम्मन वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र तलब किया।

अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण की ओर से जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया गया जो सामिल मिसल है। अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र में कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चौसाला आधार संवत 2073-76 जमाबंदी 2077 के खाता संख्या 561 में खसरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम रूकमादेवी पत्नी रमेशचन्द कौम जाट सा. सेवरिया के नाम की खातेदारी भूमि दर्ज है तथा खसरा नम्बर 68/7 के सटते हुए अन्य काश्तकारों (खातेदारों) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 67/1, 171, 170, 160,68/6 स्थित है। जो दावे में पक्षकार नहीं है। खसरा नम्बर 68/7 के सटते हुए खसरा नम्बर 68, 67/1, 171, 170, 160, 68/6 स्थित है।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीया व सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई और उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:23:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण

1. राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि बनाम प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास में प्रार्थिया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है।
2. प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया कि उक्त वादग्रस्त आराजी का कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा हो रखा है। रेकर्ड में अलग से तरमीम है।
3. प्रार्थिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम के पास ही अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 68 रकबा 13.5731 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है। प्रार्थिया द्वारा उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान का न्यायालय हाजा से नापचौप कर सीमाज्ञान करने का निवेदन किया।
4. अप्रार्थी/तहसीलदार जैतारण ने जवाब प्रार्थनपत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी चौसाला आधार संवत 2073–76 जमाबंदी 2077 के खाता संख्या 561 में खसरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम रूकमादेवी पत्नी रमेशचन्द कौम जाट सा. सेवरिया के नाम की खातेदारी भूमि दर्ज है तथा खसरा नम्बर 68/7 के सटते हुए अन्य काश्तकारों (खातेदारों) की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 67/1, 171, 170, 160.68/6 स्थित है। जो दावे में पक्षकार नहीं है। खसरा नम्बर 68/7 के सटते हुए खसरा नम्बर 68, 67/1, 171, 170, 160, 68/6 स्थित है।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख के अवलोकन से यह जाहिर है कि राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास मे प्रार्थिया की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है। जिस पर प्रार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वादग्रस्त आराजी के सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी हेतु आदेश किया जाना उचित होगा। अप्रार्थी की आराजी प्रार्थीया की आराजी के साथ सीमा बनाती है। अतः उभयपक्ष के मध्य खेतों की वास्तविक सीमा रेखा की स्थिति को लेकर विवाद होने से इनकार नहीं किया जा सकता। खातेदारों के मध्य आराजी को लेकर किसी प्रकार का सीमा विवाद न हो इसके लिए यह आवश्यक है कि काश्तकारों को उनकी खातेदारी भूमि की सीमाओं का सही–सही ज्ञान हो। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 128 में प्रावधान है कि काश्तकारों के मध्य सीमा–विवादों का निस्तारण धारा– 111 में विहित प्रक्रिया से किया जावे। अतः हम प्रार्थना–पत्र, प्रार्थीया स्वीकार करना विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:23:56 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत ारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित होनें एवं सारवान ाने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी ी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृंषि भूमि सरहद मौजा सेवरिया पटवार हल्का सेवरिया ू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास मे प्रार्थिया की खातेदारी एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि ससरा नम्बर 68/7 रकबा 1.6187 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम की दर्ज है। जिसकी ार्थीया काबिज खातेदार काश्तकार है। जिसका प्रार्थिया व काबिज खातेदारान के मध्य ाजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में विहित प्रकिया का अनुपालन रते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीया के हर्जे खर्चे से उक्त ासरा संख्याओं की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को बंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को ालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, खिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

र्णय आज दिनाँक 27/06/2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी, जैतारण
(जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:23:56 IST
Reason: SelfAttested